क्रमांक 8926-1

Ration 20/02/2018

ई निविदा सूचना

समस्त सम्बन्धित कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारान सक्षम श्रेणी (डी "सी" "वी" "ए" एवं "एए")के ठेकेदारान से मुहरबंद निविदायें कार्य की .21 218... से आनलाईन विक्रय की जावेगी। निविदाएं दिनांक 16 3 18. को दिन के 3.00 बजे तक प्राप्त की जावेगी। किसी वी निविदा को स्वीकार करने व बिना कारण बताये अस्वीकार करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षर कर्ता के पास सुरक्षित है। उक्त निविदा को sppp.rajasthan.gov.in /eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्र.स	कार्यं का नाम	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	कार्यपूर्ण करने की अवधि
1	वार्ड नं02 में प्रेम कुमावत की होटल से सलाम के मकान तक सी सी / पुलिया निमार्ण कार्य	9.98 लाख रू ०	2% 19960/- ½% 4990/-	500/	2 माह
2	बार्ड नं0 2 में देवनारायण डेयरी से सलीम के मकान तक शी सी	13.42 লাম্ব ২০০	2% 26840/- ½% 6710/-	500/	2 माह
3	बार्ड नं0 15 में प्रतीक के मकान से सत्यप्रकाश के मकान तक सी सी	13.21 লাভ ক০	2% 26420/- ½% 6605/-	500/	2 माह
4	वार्ड नं015 में प्रेस की दुकान से हरविंदर के मकान तक सी सी	12.90 নাভ ২০	2% 25800/- ½% 6450/-	500/	2 माह
5	बार्ड नं 015 में मालियों की गली बालाजी मन्दिर से रामस्वरूप पंडित जी तक ती ती	9.89 लाख २ ०	2% 19780/- ½% 4945/-	500/	2 माह
7	नाल निमार्ण तलाई क्षेत्र से लंका गेंट तक	50.00 लाख रू0	2% 100000/- ½% 25000/-	1000/-	6 माह

कार्य प्रारम्म करने से पूर्व एवं समाप्ति पर कार्य के फोटो ग्राफ कार्यालय में जमा कराने होगे। कार्य स्वीकृत होन पर एग्रीमेन्ट नियमानुसार नोन ज्यूबिशियल स्काम्प पेपर कार्यालय में 15 दिवस में प्रस्तुत करनो होगा। बिना कारण बताये निविदा स्वीकार/अस्वीकार करेन का पूर्ण अधिकार समाप्ति एवं आयुक्त नगर परिषद बून्दी में निहित होगा। अन्य शर्ते कार्यालय समय व कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं। निविदा में प्रस्तुत दर प्रचलित बीएसआर जिस पर निविद्धा आधारित हैं से जितना प्रतिशत कम आयेगी उतनी ही अन्तर राशि विमाग में कार्यादेश जारी करने से पूर्व जमा करानी होगी जो वास्तविक कार्य पूर्णता तिथि से 28 दिन बाद कार्य संतोषजनक होने पर लोटाई

गारंटी पिशीयड समाप्त होने के बाद एस.डी. अमानत का मुगतान सहायक/अधिशाषी अमियंता कार्यगुणवता की रिपोर्ट होने के बाद ही मुगतान किया जावेगा।

संबदेक को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 प्रावधानों की पालना करनी होगी

EPF/ESI आदि नियमो की पालना की जानी है।

सभापति

नगर परिषद, बून्दी